



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर मारपीट व आपराधिक धमकी देने वाले अभियुक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 4,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0-413ए/2014 धारा-323,504,506 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजेश सिंह पुत्र रामरतन सिंह निवासी ग्राम बेरी थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 02 वर्ष के कठोर कारावास व 4,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री चन्द्रप्रकाश
गोस्वामी



विवेचक-
उ0नि0 गिरेन्द्र सिंह



पैरोकार- थाना कुरारा
का0 रजनीश कुमार
यादव